

वादीगण अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर वादीगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 18/11/2016, 21/03/2017 एवं आज दिनांक : 24/04/2017 को तीन अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी आज वादीगण या उनकी ओर से कोई साक्षी न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुति का अभाव एवं उनकी अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद